

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 236]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 6 जून 2016—ज्येष्ठ 16, शक 1938

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 जून 2016

क्र. 84(13)-वि. निर्वा.-चार-2016-उपचुनाव-158.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (43 सन् 1951) की धारा 67 के उपबंधों के अनुसरण में, 132-घोड़ाडोंगरी (अजजा) से मध्यप्रदेश विधान सभा के रिक्त पद को भरने हेतु संपन्न हुए उप चुनाव के परिणाम की घोषणा प्ररूप 21-घ, जिसमें निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम अन्तर्विष्ट है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

एस. एस. बंसल, सचिव.

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21घ

(नियम 64 देखिए)

(आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा.

..... (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिये निर्वाचन.

* 132-घोड़ाडोंगरी (अजजा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) की विधान सभा के लिये निर्वाचन.

* महानगर परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र से दिल्ली की महानगर परिषद् के लिये निर्वाचन.

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री मंगल सिंग धुर्वे, ग्राम रामपुर रैयत, पोस्ट चिखली माल, तहसील शाहपुर, जिला बैतूल [जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए/की गई है].

उस सदन में,

श्री/श्रीमति के पदत्याग के कारण

श्री/श्रीमति सज्जन सिंग उईके के मृत्यु के कारण

श्री/श्रीमति का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिये जाने के कारण

श्री/श्रीमति का स्थान रिक्त हो जाने के कारण/घोषित कर दिए जाने के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई है.

स्थान—बैतूल

तारीख—2 जून 2016

हस्ता/-

(एम. एल. विजयवर्गीय)

रिटर्निंग आफिसर

132-घोड़ाडोंगरी (अ.ज.जा.)

*जो समुचित न हो उसे काट दीजिए.

CONDUCT OF ELECTIONS RULES, 1961

(Statutory Rules And Order)

FORM 21D

(See Rule 64)

(For use in election to fill a casual vacancy when seat is contested)

Declaration of the result of election under Section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

* Election to the House of the People from the Parliamentary constituency in (State/Union territory).

* Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh (State/Union territory) from 132-Ghodadongri (ST) Assembly constituency.

* Election to the Metropolitan Council of Delhi from Metropolitan Council constituency. In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961 I declare that.—

Mangal Singh Dhurve,

At Rampur Raiyat, Post Chhikhli Mal, The. Shahpur, Distt. Betul [sponsored by **Bhartiya Janata Party** (name of the recognized/registered political party)] has been duly elected to fill vacancy caused in that House by the

*resignation of

*death of Sajjan Singh Uikey

*election of having been declared void having become.

*seat of having been declared vacant.

Place—Betul

Date—2 June 2016

Sd/-

(M. L. VIJAYVARGIYA)

Returning Officer

132-Ghodadongari (S.T.)

*Score out, if inappropriate